आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.06.2023	**वाद सं0–07 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री रमेश हाँसदा, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, भाजपा (अनु0ज0जा0 मोर्चा) Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, सरायकेला–खरसावाँ, Video Conference के माध्यम से उपस्थित। आयोग के निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन आयोग को भेजा है। आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला, आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन एवं संबंधित सभी दस्तावेज शिकायतकर्त्ता को डाक, वाट्सऐप, और ई–मेल के माध्यम से भेज दिया जाय। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन एवं संबंधित दस्तावेजों को विभागीय सचिव को भेजते हुए पूरे मामले की जाँच करने का आग्रह किया जाय और इस बात कि पड़ताल की जानी चाहिए कि किस परिस्थिति में संबंधित प्रखण्ड के लोगों को अनाज वितरण नहीं किया गया और इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्रवाई किया जाना चाहिए। आयोग सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से यह आग्रह भी करता है कि संबंधित प्रखण्ड के लाभुकों को जिस कालखंड का अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, उस कालखंड का अनाज उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिले में अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाय और यदि पूर्व में आवंटन उपलब्ध कराया गया था एवं यदि उस आवंटन का गबन किया गया है, तो गबन किये गये अनाज की रिकवरी कराते हुए लाभुकों के बीच वितरित किया जाय। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। 19.6.23 **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 19/6/23 **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Rachana\Court order.docx2